बिहार विधान सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि २८ जुलाई, १९५२।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि २८ जुलाई १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विंध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर

SHORT NOTICE QUESTIONS AND ANSWERS.

LILA DEEP TRUST

116. SHRI RAMESH JHA: Will the Minister in charge of the Judicial Department be pleased to state—

(*a*) the total gross income from all sources per annum of Lila Deep Trust Estate from the time the Estate came into the possession of the Official Trustee;

(*b*) the total collection and management charges per annum during the above period of the said Trust Estate;

(*c*) the saving per annum during the above period in the said Trust Estate;

(*d*) whether any portion of the accumulated savings of the said Trust Estate has been utilized so far for any of the purposes of the Trust;

(*e*) if the answer to clause (*d*) be in the affirmative, what are the name or names of Institutions or the purposes for which the accumulated savings or any portion thereof has been utilized.

SHRI SHIVANANDAN PRASAD MANDAL: (*a*), (*b*) and (*c*) A statement is placed on the Library table.

(*d*) and (*e*) Rs. 17,000 is being paid annually out of the savings of the estate in the following manner :—

	Rs.
1. Srimati Prabhavati Devi	9,000
2. Ramanandy Anathalaya, Bhagalpur ..	3,000

अध्यक्ष—जनाचार पत्र के संबंध में प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामानन्द तिवारी—क्या सरकार के पास इस तरह की दरखास्त आई थी या नहीं ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है ।

---

१९८ । श्री जगेश्वर प्रसाद खलिश—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि जब श्री टी० एन० घोष भागलपुर में पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे तो उनके भ्रष्टाचार की सूचना मिलने पर सरकार ने ऐन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट द्वारा उनके आचरण की जांच कराई थी ;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या यह बात सही है कि ऐन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के कारण ही उन्हें अविलम्ब भागलपुर से गया बदल दिया गया, यदि नहीं तो इस बदली का कारण क्या था और इनके आचरण के सम्बन्ध में ऐन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(क) जब वे भागलपुर के एस० पी० थे तो उनके आचरण के संबंध में कोई इनक्वारी नहीं हुई थी ।

(ख) उनका ट्रान्सफर भागलपुर से आर्डीनरी कोर्स में हुआ था ।

श्री जगेश्वर प्रसाद खलिस—क्या यह बात सही है कि डी० आई० जी०, भागलपुर ने उनके आचरण के संबंध में एक लम्बी रिपोर्ट भेजी थी और वह रिपोर्ट एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में इन्क्वारी के लिये भेजी गई थी ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—ऐसी बात नहीं है ।

श्री जगेश्वर प्रसाद खलिश—जब वे एस० पी० थे तो क्या डी० आई० जी० ने उनके आचरण के संबंध में कोई अपना नोट सरकार में भेजा था ।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जब इसका उत्तर नकारात्मक है तो सवाल कैसे उठता है ।

CANDIDATES FOR S. I. OF EXCISE.

199. SHRI DEONARAIN YADAVA : Will the Minister in charge of the Excise be pleased to state—

(*a*) (*i*) the number and names of the candidates for S. I., Excise recommended by the Superintendent of Excise, Palamau, to the Deputy Commissioner, Palamau ;

(*ii*) the names of four candidates who secured the highest position in written examination and their marks obtained ;

(*b*) (*i*) the total number and names of candidates selected in the first selection ;

(*ii*) the total number and names of candidates selected in the final selection ;

(*c*) the grounds on which the Deputy Commissioner rejected the candidates and selected only four out of eight ;

(*d*) whether it is a fact that the Deputy Commissioner rejected the name of Shri Rameshwar Prasad Singh Yadav, although he stood second in the competitive examination, on the ground that he produced a testimonial of a Minister of the Government of Bihar ;

(*e*) if the answer to clause (*d*) be in the negative, the reasons why his name was not recommended ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—(*a*) and (*b*) इन दि इनटरेस्ट ऑफ पब्लीक सरकार इसका जवाब देना नहीं चाहती है ।

(*c*) जो कैनडीडेट रिजेक्ट हुए थें वे इस पद के लिये अयोग्य समझे गये थे या अंडर एज थे ।

(*d*) इसका उत्तर ना है ।

(*e*) चूंकि वे अयोग्य समझे गये इस लिये उनका नाम डेपूटी कमिश्नर ने नहीं भेजा ।

श्री रामलखन सिंह यादव—जितने अयोग्यता के ग्राउन्ड हैं उनमें किस ग्राउन्ड पर ये छांटे गये ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—इसके बारे में मैंने डेपूटी कमिश्नर से डीटेल रिपोर्ट मांगी है ।

श्री वीरचन्द्र पटेल—क्या सरकार कम्पेटीटिव एक्जामीनेशन का रिजल्ट हाउस में बताना पब्लीक इनटरेस्ट के खिलाफ समझती है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—यह रिकोमेन्डेशन कलक्टर करता है और एक्जामीनेशन के आधार पर नियुक्ति होती है । रिटेन एक्जामीनेशन के रिजल्ट को बतलाने में गलतफहमी हो सकती है और उसको जस्टीफाई करना होगा ।

श्री वीरचन्द्र पटेल—मैं जानना चाहता हूँ कि जब पब्लिक सरविस कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया किसी रिटेन एक्जामीनेशन के रिजल्ट को पब्लिश

कर देती है तो क्या बिहार गवर्नमेंट एस० आई० के एक्जामीनेशन के रिजल्ट को आउट करना पब्लिक इन्टरेस्ट के खिलाफ समझती है ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—फाइनल रिजल्ट पब्लीश कर दिया गया कि यही कन्डीडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरीट हैं। आप कहते हैं कि इम्तहान में कन्डीडेट ने कितना नम्बर पाया—जेनेरल टेस्ट में कितना पाया, भाइवा भोसी में कितना पाया तो यह बताना मुश्किल है।

श्री बीरचंद्र पटेल—हुजूर, यह पब्लीक इनटरेस्ट का सवाल है। हम यह डेफीनिट जानना चाहते हैं the names of the four candidates who secured the highest position in the examination and the marks obtained by each of them तो क्या उन बातों का इनफोरमेशन देना सरकार पब्लिक इन्टरेस्ट के खिलाफ समझती है ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—जिस तरह के इम्तहान की माननीय सदस्य कल्पना करते हैं उस तरह का इम्तहान नहीं होता है। अथोरीटिज अपने सैटिशफेक्शन के लिये इम्तहान लेते हैं और जब वे सैटिसफाइड हो जाते हैं तो उन कन्डीडेट्स को चुन लेते हैं।

श्री बीरचंद्र पटेल—तब तो मेरा सवाल और आसान हो जाता है। जब अपने सैटिसफेक्शन के लिये इम्तहान लेते हैं तो फिर उसका रिजल्ट पब्लिश करने में हिचकिचाते क्यों हैं ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—जब फाइनल नतीजे पर पहुँच जायेंगे तो रिजल्ट पब्लिश कर देंगे।

श्री बीरचंद्र पटेल—हमारा सवाल है कि हो सकता है कि मेरिट वाले भी छंट जाते हों। इसलिये मैं यह पूछता हूं कि जो इम्तहान में हायेस्ट मार्कस पाते हैं उनका नाम बतलाना क्या सरकार पब्लिस इनटरेस्ट के खिलाफ समझती है ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—कोनभेनशन यही रहा है। अलग रिजल्ट छापने का सवाल नहीं है। इम्तहान उनके सैटिसफेक्शन और इम्प्रेशन के लिये होता है जिससे वे जान लें कि कौन कनडीडेट कैसा है।

श्री बीरचन्द्र पटेल—तो क्या माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि जो रिटन एक्जामीनेशन में हायेस्ट मार्कस सिक्योर करते हैं उनका कोई महत्व नहीं है ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—महत्त्व तो जरूर है । लेकिन हमने कहा कि इम्तहान उनके सैटिसफैक्शन के लिये है । पब्लिक के सामने रिजल्ट भेजने का कोई महत्त्व नहीं है ।

अध्यक्ष—यहां स्पेसीफिक सवाल श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह यादव के बारे में है कि "the Deputy Commissioner rejected the name of Shri Rameshwar Singh Jadav etc. on the ground that he produced a testimonial of a Minister..." तो आप यह पूछ सकते हैं कि whether this can be a ground for rejecting a condidate ?

श्री वीरचंद्र पटेल—हमारे सवाल का जवाब जो मिला है उससे हम यह समझते हैं कि रिटन एक्जामीनेशन का कोई खास महत्त्व नहीं है तो इसका यह मतलब है कि नहीं कि रिटन स्टेटमेंट एक बहाना है भैगरीज ऑफ सेलेक्शन को जस्टीफाइ करने के लिये ?

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति । यह राय की बात है ।

श्री वीरचंद्र पटेल मैं यह जानना चाहता हूं कि रिटन एक्जामीनेशन में भाइवा भोसी में कितना परसेनटेज महत्त्व सरकार देती है ?

SPEAKER : This question does not arise.

SHRI BIRCHAND PATEL: If the Chair has ruled out my supplementary, then I have nothing to say. But I would like to mention that I have not the least interest in the candidate.

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह यादव रिटन एक्जामीनेशन, फीजिकल टेस्ट और भाइवा-भोसी सब मिला कर डिम्ट्रीक्ट में सेकेन्ड हुए थे ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—अगर आप की बात सही मान ली जाये तो आप के सवाल का मतलब क्या है ?

श्री रामलखन सिंह यादव—मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है या नहीं कि सरकार ने फाइल मंगा कर देखा था जिससे यह मालूम हुआ कि चूंकि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव ने किसी मिनिस्टर की करेक्टर सर्टिफिकेट दी थी इसलिये वह रिजेक्ट कर दिये गये ।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हमारे पास जो डेपूटी कमिश्नर की रिपोर्ट आयी है उसमें यह बात नहीं है ।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव पर यह झूठा चार्ज लगा कर कि वे डेपूटी कमिश्नर के यहाँ कनभासिंग करते थे, इसलिये छांट दिया गया कि किसी खास फेभरिट आदमी को लेना था ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—अन्दाज पर सवाल पूछना ठीक नहीं है ।

श्री रामलखन सिंह यादव—क्या सरकार यह बतलायेगी कि उन्होंने किस रूप से कनभासिंग किया था ? परसनल एप्रोच किया था या किसी को भेजा था ?

डाक्टर अनुग्रह नारायण सिंह—इसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है । आप दूसरा सवाल पूछें तो जवाब मिल जायेगा ।

गोवध निषेध सम्बन्धी विधेयक ।

२००। श्री बुद्धिनाथ झा 'कैरव'—क्या मंत्री, विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि विधान सभा तथा विधान परिषद् के विगत अधिवेशन में तत्कालीन सभा तथा परिषद् के सदस्य क्रमशः श्री झूलन सिंह तथा श्री कुमार गंगानन्द सिंह द्वारा गोवध निषेध सम्बन्धी विधेयक पुरःस्थापित करने की सूचना दी गई थी और दोनों विधेयक नियमानुसार परिचारित हो गये थे ;

(ख) क्या यह बात सत्य है कि उस समय सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि उस प्रकार का विधेयक सरकार स्वयं उपस्थित करेगी इसलिए दोनों गैरसरकारी विधेयकों पर विचार नहीं हुआ ;

(ग) क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती है कि विषय के महत्त्व को ध्यान में रख कर और तत्कालीन सभा तथा परिषद् के सदस्यों का प्रयत्न रोक देने के बाद इस सम्बन्ध का कोई विधेयक सरकार की ओर से शीघ्र उपस्थित किया जाय ;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस प्रकार का विधेयक सरकार कब उपस्थित करने जा रही है, यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री दीपनारायण सिंह—(क) और (ख)—इनके उत्तर स्वीकारात्मक हैं ।

(ग) और (घ) सरकार विधेयकों के विषयों की गम्भीरता और महत्त्व को अच्छी तरह समझती है । उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सुझाव सरकार के सामने मौजूद हैं और वे